न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 25 / 2004
आरसीएमएस नं. :– 2004 / 00054

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार / राजस्व / तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. चेतराम पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. मंगलचन्द पुत्र भगवानाराम जाति ब्राहम्ण निवासी भादरा
3. भंवरलाल पुत्र सोहनलाल जाति अग्रवाल निवासी भादरा तहसील भादरा।

–– रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा, दिनांक 16.07.2003, प्र. सं. 372 / 2003
अनवान चेतराम आदि बनाम सरकार

उपस्थितिः–

राजेश कौशिक, अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय दिनांक 09.12.22

1. यह प्रकरण वर्ष 2003 से विचाराधीन चल रहा है। लगभग 19 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी काफी प्रयासों के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नहीं आया है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्देशानुसार पुराने प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इसलिए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पेश किया जिमसें कथन किया कि रोही मोज चक नं. 10 बीएचडी की खाता सं0 1/1 में कुल 14.801 है0 कृषि भूमि है जिसमें बारानी 1.834 है0, गैरमुमकिन रास्ता 0.139 है0, नहरी 12.527 है0 गै0मु0 खाला 0.301 है0 भूमि रिकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट का उपरोक्त कृषि भूमि पर अपने बुजुगो।के समय से राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही कब्जा काश्त में चली आ रही है। मगर राजस्व रिकार्ड में यह भूमि सिचाय चक काबिल काश्त दर्ज है। वादीगण ने उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपील में रेस्पोडेण्ट की तरफ से कोई उपस्थित नही आया। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायलाय का अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत होने कारण पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के विपरीत होने क कारण अपास्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। भूमी भाखड़ा क्षेत्र (कोलोनाईजशन) में पड़ती है, इसलिए उक्त क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों की पूर्ति के बिना खातेदारी नही दी जा सकती है। प्रश्नगत भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज थी जो कभी भी वादीगण के कब्जा काश्त में नही रही है। जिसे रेस्पोडेण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नही है। रेस्पोडेण्ट ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह कतई साबित नही किया है कि सम्वत 2012 से पहले उक्त भूमि पर उनका कब्जा काश्त हो, इसके अभाव में रेस्पोडेण्ट को खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया एवं कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को धारा 80 सीपीसी का नोटिस नहीं दिया गया है। पत्रावली विधिक परीक्षण के हेतु जिला कलक्टर कार्यालय में चली गई थी इसलिए नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी क्षमा की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख काफी प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ है। अपील में ग्राम 10 बीएचडी की जमाबंदी संवत 2056 प्रस्तुत हुई जिसमें प्रश्गनत भूमि सिवाय चक काबिल काश्त भूमि दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सिवाय चक काबिल काश्त भूमि है। परन्तु इस भूमि पर रेस्पोडेण्टगण का कभी कब्जा काश्त रहा हो ऐसा कोई साक्ष्य अपील में पेश नहीं हुआ है। चूंकि अपील में रेस्पोडेण्ट उपस्थित नही हुआ है इसलिए वह अपने तथ्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका है, उसको सुनवाई का एक अवसर दिया जाना उचित है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायलाय ने प्रश्गनत भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेण्ट को प्रदान किये हैं लेकिन अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अपीलाण्ट को भी सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलाण्ट के कथनों का किसी के द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.03.2003 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 9.12.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

9/12/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़